HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON MONDAY, THE 8TH AUGUST, 2022 AT 02.00 P.M.

I. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Dr. Krishna Pandit, former Parliamentary Secretary of Haryana.
2. Chaudhary Hari Chand Hooda, former Member of Haryana Legislative Assembly.
3. Dr. Ram Kuwar Saini, former Member of Haryana Legislative Assembly.
4. Martyrs of Haryana.
5. Shri Surender Singh, Deputy Superintendent of Police.
6. Others.

II. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

III. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i) THE SPEAKER	to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
(ii) A MEMBER OF THE COMMITTEE	to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

IV. CALLING ATTENTION NOTICE

Calling Attention Notice No. 6 notice given by **Shri Balraj Kundu, MLA**	regarding threat to the Legislators of the State by the criminals and deteriorating Law & Order situation in the State.
Adjournment Motion No. 1, notice given by **Shri Abhay Singh Chautala, MLA**, converted into **Calling Attention Notice No. 19** and clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 6, being similar/identical subject.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 6.
Adjournment Motion No. 2 notice given by :- **1. Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA;** **2. Shri Jagbir Singh Malik, MLA;** **3. Shri Shamsher Singh Gogi, MLA;** **4. Smt. Geeta Bhukkal, MLA;** **5. Shri Jaiveer Singh, MLA;** **6. Shri Shishpal Singh, MLA;** **7. Shri Balbir Singh, MLA;** **8. Shri Mewa Singh, MLA;** **9. Shri Subhash Gangoli, MLA;** **10. Shri Aftab Ahmed, MLA;** **11. Rao Dan Singh, MLA;** **12. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA;** **13. Shri Mamman Khan, MLA;** **14. Smt. Shalley, MLA;** **15. Shri Bishan Lal, MLA;** **16. Shri Amit Sihag, MLA;** **17. Shri Varun Chaudhary, MLA; and** **18. Shri Mohd. Ilyas, MLA,** **converted** into **Calling Attention Notice No. 29** and clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 6, being similar/identical subject	The two Hon'ble Members may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 6.
Calling Attention Notice No. 30, notice given by **Shri Neeraj Sharma, MLA**, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 6, being similar/identical subject.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 6.

V. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
2. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
3. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
4. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
5. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
6. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.50/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
7. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
8. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
9. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
10. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.54/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
11. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.55/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
12. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.56/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
13. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.57/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
14. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.58/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
15. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.59/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
16. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
17. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.63/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
18. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.65/GST-2, dated the 22nd November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
19. A MINISTER to re-lay on the Table the Administrative Reforms Department's Notification No.7/8/2011-3AR, dated the 26th August, 2021, as required under section 21(3) of the Right to Service Act, 2014.

20. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.67/GST-2, dated the 16th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

21. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.68/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

22. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.69/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

23. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.70/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

24. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.71/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

25. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.72/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

26. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.73/GST-2, dated the 31st December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

27. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.74/GST-2, dated the 31st December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

28. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.01/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

29. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.02/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

30. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.03/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

31. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.04/GST-2, dated the 18th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

32. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.05/GST-2, dated the 18th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

33. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.06/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

34. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.07/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

35. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.08/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

36. A MINISTER to re-lay on the Table the Administrative Reforms Department's Notification No.7/11/2014-3AR, dated the 21st February, 2022, as required under section 21(3) of the Right to Service Act, 2014.

37. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.09/GST-2, dated the 23rd February, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

38. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated the 16th March, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

39. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 31st March, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

40. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 31st March, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

41. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 31st March, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

42. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 31st March, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

43. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 22nd June, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

44. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 22nd June, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

45. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 28th June, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

46. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

47. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

48. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

49. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

50. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.42/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

51. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

52. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

53. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

54. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

55. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

56. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 18th July, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

57. A MINISTER to lay on the Table the Development & Panchayat Department Notification No. S.O. 3/H.A.30/1970/S.22/2022, dated the 25th February, 2022, as required under section 22 (3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

58. A MINISTER to lay on the Table the Home Department Notification No. S.O. 21/C.A.29/2005/S.25/2022, dated the 6th May, 2022, as required under section 25 (3) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act No. 29 of 2005).

59.	A MINISTER	to lay on the Table the Home Department Notification No. S.O. 69/C.A.29/2005/S.25/2019, dated the 13th September, 2019, as required under section 25 (3) of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act No. 29 of 2005).
60.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam Private Limited for the year 2018-2019, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
61.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Human Rights Commission, Chandigarh for the year 2020-2021, as required under section 28 (2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.
62.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana, Panchkula for the year 2018-2019, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971
63.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts of Haryana Shehri Vikas Pradhikaran for the year 2016-2017, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
64.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts of Haryana Shehri Vikas Pradhikaran for the year 2017-2018, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
65.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2019-2020, as required under section 39 (3) of Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.
66.	A MINISTER	to lay on the Table the 44th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2017-2018, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
67.	A MINISTER	to lay on the Table the 24th Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2020-2021, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
68.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited for the year 2020-2021, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
69.	A MINISTER	to lay on the Table the Eighth Annual Report of Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited for the year 2019-2020, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
70.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Direct Benefit Transfer of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
71.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India Performance Audit of Functioning of Transport Department of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
72.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 31st March, 2021 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
73.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the State Finances Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2021 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
74.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Sixth State Finance Commission Haryana (December, 2021) alongwith Explanatory Memorandum, as required under clause 4 of Article 243-I and clause 2 of Article 243-Y of the Constitution of India.

VI. PRESENTATION OF REPORT OF THE RULES COMMITTEE.

THE CHAIRPERSON (SPEAKER) OF THE RULES COMMITTEE	to lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under rule 242 ibid.

VII. PRESENTATION OF REPORT OF THE SELECT COMMITTEE.

1.	THE CHAIRPERSON (DEPUTY SPEAKER) OF THE SELECT COMMITTEE	to present the Report of the Select Committee on the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2022.
2.	THE CHAIRPERSON (DEPUTY SPEAKER) OF THE SELECT COMMITTEE	to present the Report of the Select Committee on the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022.

VIII. PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) FOR THE YEAR 2022-2023 AND THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE THEREON.

(i)	THE MINISTER	to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2022-2023.
(ii)	THE CHAIRPERSON, ESTIMATES COMMITTEE	to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2022-2023.

IX. SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) 2022-2023.

1. Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State.
2. Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants.

Demand No. 1	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹3,47,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 1-3
Demand No. 2	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹6,00,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. **2-Governor and Council of Ministers.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 4-5
Demand No. 3	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹176,00,00,000/-** for Revenue expenditure and **₹6,00,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. **3-General Administration/Elections.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 6-9

Demand No. 5	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹668,01,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 5- Home/Prisons/Home Guard & Civil Defence/ Administration of Justice (High Court/Prosecution/AGOT/Legal Services Authority).**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 10-14
Demand No. 10	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹37,30,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 10-Mines and Geology/ Agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandary and Dairy Development/Fisheries/ Forest & Wildlife/ Ecology and Environment**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 17-20
Demand No. 11	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹538,87,85,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 11-Food and Supplies/Co-operation.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 21-22
Demand No. 12	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹1421,03,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 12-Education (Higher/Secondary/Elementary)/Technical Education/ Women and Child Development**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 23-30
Demand No.13	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹2,00,000/-** for Revenue expenditure and **₹3,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 13-Sports and Youth Welfare/Art and Culture/Tourism.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 31-35
Demand No. 14	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹229,62,00,000/-** for Revenue expenditure and **₹155,00,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 14-Health/DMER/Ayush/ESI/ FDA.**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 36-41
Demand No. 15	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹187,40,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 15-Labour/ Employment/ Skill Development & Industrial Training**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 42-43
Demand No. 16	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹178,10,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 16-Welfare of SCs & BCs/Social Justice & Empowerment/welfare of Ex-Servicemen**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 44-47

Demand No. 17	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹231,00,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 17- Buildings and Roads/ Transport/ Civil Aviation**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 48-53
Demand No. 19	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹200,00,00,000/-** for Revenue expenditure and **₹30,00,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 19-Irrigation/ Industries&Commerce/MSME/Supplies& Disposal /PowerandRenewableEnergy/Science& Technology**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 54-57
Demand No. 20	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹907,03,00,000/-** for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of **Demand No. 20-Urban Development(Town & Country Planning/Urban Estates) Local Government(ULB & Fire Service)/ Rural & Community Development (Rural Development/Development & Panchayats)/ Public Health Engineering**	Supplementary Estimates 2022-23 (1st Instalment) Page 58-63

X. OFFICIAL RESOLUTION TO WITHDRAW THE HARYANA CONTROL OF ORGANISED CRIME BILL, 2020

A MINISTER to move- "That the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020 was introduced to make special provisions for prevention and control of, and for coping with criminal activity by organised crime syndicate or gang and for matters connected therewith. The Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020 was passed by Haryana Vidhan Sabha on the 6th November, 2020;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the Constitution of India.

And whereas, the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020 was sent to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Government of India for assent of the President of India. On seeking comments of Ministry of Law and Justice and Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India by the Ministry of Home Affairs, Government of India, certain discrepancies were found by the Ministry of Law and Justice, Government of India and further certain provisions of the Haryana Control of Organized Crime Bill, 2020 were found in conflict with the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (Act 61 of 1985) by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India. Accordingly, Ministry of Home Affairs conveyed it to the O/o Governor, Haryana that, "The State Government is requested to consider withdrawing the above Bill from this Ministry and submit a fresh Bill after duly incorporating the suggestions of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice". Matter was deliberated upon and it was decided to request the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020, as the State of Haryana intends to

send a revised Bill in view of the observations made by the Ministry of Law and Justice and Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India.

And whereas, the Hon'ble Chief Minister, Haryana exercising the power of the Council of Ministers has decided to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2020."

XI. LEGISLATIVE BUSINESS.

(Bill to be introduced)

The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to introduce the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill;

CHANDIGARH:
THE 7TH AUGUST, 2022.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 8 अगस्त, 2022 को 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीयः–

1. डॉ० कृष्णा पंडित, हरियाणा की भूतपूर्व संसदीय सचिव;
2. चौधरी हरि चंद हुड्डा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
3. डॉ० राम कुवार सैनी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
4. हरियाणा के शहीद;
5. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक;
6. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

(i)	**अध्यक्ष**	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	**समिति के एक सदस्य**	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. ध्यानाकर्षण सूचना

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6

श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा राज्य के विधायकों को अपराधियों द्वारा धमकी तथा बिगडती कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1, श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को **ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19** में बदल दिया गया है तथा समान विषय होते हुए, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ क्लबड कर दिया गया है

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2

जिसकी सूचना :–

1.श्री रघुबीर सिंह कादियान, एम.एल.ए.,

2.श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.,

3.श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए.,

4.श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.,

5.श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए.,

6.श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.

7.श्री बलबीर सिंह, एम.एल.ए.,

दो माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

8.श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.,

9.श्री सुभाष गांगोली, एम.एल.ए.,

10. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.,

11.राव दान सिंह, एम.एल.ए.,

12.श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,

13.श्री मामन खान, एम.एल.ए.,

14.श्रीमती शैली, एम.एल.ए.,

15.श्री बिशन लाल, एम.एल.ए.,

16.श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.,

17.श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए.,

18.श्री मोहम्मद इलियास, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 में परिवर्तित कर दिया गया है तथा समान विषय होते हुए, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ क्लबड कर दिया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30, श्री नीरज शर्मा, एम. एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को समान विषय होते हुए, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ क्लबड कर दिया गया है

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

V. <u>सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र।</u>

1.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
2.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
3.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
4.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
5.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
6.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
7.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 नवंबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 नवंबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 नवंबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
19.	एक मंत्री	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/8/2011–3 एआर, दिनांकित 26 अगस्त, 2021, मेज पर पुनः रखेंगे।
20.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
21.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
22.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
23.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

24.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
25.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
26.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
27.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
28.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
29.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
30.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
31.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
32.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
34.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
36.	एक मंत्री	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/11/2014–3 एआर, दिनांकित 21 फरवरी, 2022, मेज पर पुनः रखेंगे।
37.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 फरवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
38.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 मार्च, 2022 मेज पर रखेंगे।
39.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर रखेंगे।

40.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर रखेंगे।
41.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर रखेंगे।
42.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर रखेंगे।
43.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2022 मेज पर रखेंगे।
44.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2022 मेज पर रखेंगे।
45.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2022 मेज पर रखेंगे।
46.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
47.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
48.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
49.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
50.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
51.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
52.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
53.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
54.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
55.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।

56.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर रखेंगे।
57.	एक मंत्री	हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
58.	एक मंत्री	निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 29) की धारा 25 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार गृह विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 21/सी.ए. 29/2005/एस 25/2022, दिनांकित 6 मई, 2022 मेज पर रखेंगे।
59.	एक मंत्री	निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 29) की धारा 25 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार गृह विभाग संख्या अधिसूचना संख्या एस.ओ. 69/सी.ए. 29/2005/एस 25/2019, दिनांकित 13 सितम्बर, 2019 मेज पर रखेंगे।
60.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018–2019 के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
61.	एक मंत्री	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा, 28(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चण्डीगढ़ की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
62.	एक मंत्री	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018–2019 के लिए आवासन बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के लेखों की वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे।
63.	एक मंत्री	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, के लेखों की वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे।
64.	एक मंत्री	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, के लेखों की वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे।
65.	एक मंत्री	हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
66.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
67.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 24 वीं वार्षिक वित्त रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
68.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
69.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की 8 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
70.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के प्रावधानों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
71.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

72.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
73.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्तों की लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
74.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–आई के खंड 4 तथा अनुच्छेद 243-वाई के खंड 2 अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा राज्य के छठे वित्त आयोग(दिसम्बर, 2021) की व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VI. नियम समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

नियम समिति के चेयरपर्सन (अध्यक्ष)	हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगें।

VII. प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(i).	प्रवर समिति के चेयरपर्सन (उपाध्यक्ष)	हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(ii).	प्रवर समिति के चेयरपर्सन (उपाध्यक्ष)	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

VIII. 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(i).	**एक मंत्री**	2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii).	**चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति**	2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

IX. 2022–2023 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 1	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,47,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 1–3
मांग संख्या 2	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 4–5

मांग संख्या 3	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **176,00,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 6,00,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3–**सामान्य प्रशासन/चुनाव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 6–9
मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **668,01,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **5–गृह/कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्चन्यायालय/अभियोजन /एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 10–14
मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **37,30,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **10–खान एवं भू–विज्ञान/कृषि/ बागवानी/पशु पालन तथा डेरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 17–20
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **538,87,85,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **11–खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 21–22
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1421,03,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 12–**शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक) /तकनीकी शिक्षा/महिला तथा बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 23–30
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,000/-** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13–खेलकूद तथा युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 31–35
मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **229,62,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **155,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14–स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई /एफडीए** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 36–41
मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **187,40,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 15–**श्रम/रोजगार/कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 42–43

मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **178,10,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **16–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 44–47
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **231,00,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17–भवन तथा सड़कें/परिवहन/नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 48–53
मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **200,00,00,000** रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **30,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19–सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/एमएसएमई/पूर्ति तथा निपटान/विदयुत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 54–57
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **907,03,00,000** रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 20–**शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा)/स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022–23 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 58–63

X. हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 को वापिस लेने के लिए सरकारी संकल्प।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे– "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020, संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा नियन्त्रण करने और से निपटने के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतू हरियाणा विधानसभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2020 को पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 को कानून और न्याय मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया जिस पर कानून और न्याय मंत्रालय,

भारत सरकार द्वारा कुछ विसंगतियां पाई गईं और उक्त विधेयक के कुछ प्रावधान वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोटोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (1985 को अधिनियम 61) के प्रावधानों के विपरीत पाए गए। तदानुसार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के कार्यालय को सूचित कराया कि ''राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय से उपरोक्त विधेयक को वापिस लेने पर विचार करे।'' मामले में पुर्नविचार करते हुए राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 को वापस करने का अनुरोध किया, क्योंकि हरियाणा राज्य, कानून मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर एक संशोधित विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है।

और चूंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिन्हें मंत्री परिषद की शक्तियों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया गया है से हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 को वापिस लेने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधानसभा, द्वारा पारित हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 को वापिस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।"

XI. <u>विधायी कार्य</u>

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022.	एक मंत्री	दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

चण्डीगढ़:
7 अगस्त, 2022 .

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।